

10/03/2022

प्रावली पेश करने वकील पेशकार बहस  
पेश करने हेतु न्यायालय लापर नहीं जाये  
है। आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय  
पर तीन-तीन बार आवेगें वकील पेशकार  
को लम्बे-लम्बे जाके पर भी लापर नहीं है।  
मूल पक्ष अदम लापर व अदम करणे  
में खारिज हो चुका है। अतः प्रावली  
में अब सुनण्यी का कॉपीय सिद्ध नहीं है।  
अतः प्रावली का पत्र वाच्य अस्थायी  
विधेयता एतद्वारा अदम लापर व  
अदम करणे में खारिज की जाते हैं।  
बहस की स्टेशन बंद की जाती है।  
प्रावली को लम्बे सुमार लेकर नंबर के  
कम होकर दाखिल इतर हो। विधि  
युक्त न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे  
अज्ञात व न्यायालय द्वारा से जाते  
विधा अज्ञा-पक्ष

सहायक क्लर्क  
साँभर लेक

